

छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय

महानदी भवन, नया रायपुर

आदेश

नया रायपुर, दिनांक 01/09/2016
क्रमांक एफ 4-14/2016/18 (6) :: राज्य शासन एतद्वारा नगर पालिक निगम जगदलपुर के लिये विभागीय आदेश क्रमांक एफ 4-287/2005/18 दिनांक 15.09.2006 द्वारा स्वीकृत नियमित पद संरचना को समाप्त करते हुये छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 58 के अधीन निम्नानुसार नवीन पद संरचना स्वीकृत करता है :-

क्र.	सेटअप में स्वीकृत पदनाम	वेतनमान	नियमित पद संख्येतर पद	योग	
1	2	3	4	5	6
1	आयुक्त	15600-39100+7600	1	-	1
2	कार्यपालन अभियंता	15600-39100+5400	1	-	1
3	सहायक अभियंता	15600-39100+5400	2	-	2
4	लेखाधिकारी	15600-39100+5400	1	-	1
5	राजस्व अधिकारी	15600-39100+5400	1	-	1
6	स्वास्थ्य अधिकारी	15600-39100+5400	1	-	1
7	प्राचार्य	15600-39100+5400	1	-	1
8	सहायक लेखाधिकारी	9300-34800+4300	1	-	1
9	व्याख्याता	9300-34800+4200	2	-	2
10	सहायक प्रोग्रामर	9300-34800+4200	1	-	1
11	कार्यालय अधीक्षक	9300-34800+4300	1	-	1
12	रूप अभियंता	9300-34800+4200	14	-	14
13	इंफ्रस्ट्रक्चर	9300-34800+4200	1	-	1
14	उच्च श्रेणी शिक्षक	9300-34800+4200	2	-	2
15	सहायक राजस्व अधिकारी	9300-34800+4200	1	-	1
16	स्टेनोग्राफर 03	5200-20200+2800	1	-	1
17	सहायक ग्रेड-1	5200-20200+2800	2	-	2
18	स्वच्छता निरीक्षक	5200-20200+2800	6	-	6
19	लेखापाल	5200-20200+2400	2	-	2
20	सहायक ग्रेड-2	5200-20200+2400	4	-	4
21	कम्प्यूटर ऑपरटर	5200-20200+2400	-	3	3
22	गणक	5200-20200+2400	-	1	1
23	राजस्व रूप निरीक्षक	5200-20200+2200	4	-	4

Handwritten signature and stamp area.

1	2	3	4	5	6
24	सहायक ट्रेड-3	5200-20200+1900	16	-	16
25	राजस्व निरीक्षक	5200-20200+1900	4	-	4
26	सहायक राजस्व निरी.	5200-20200+1900	40	-	40
27	इलेक्ट्रीशियन	5200-20200+1900	-	2	2
28	स्वच्छता पर्यवेक्षक	5200-20200+1900	10	-	10
29	फीटर	5200-20200+1900	-	1	1
30	समयपाल	5200-20200+1900	10	-	10
31	पंप ऑपरेटर	5200-20200+1900	-	4	4
32	वाहन चालक	5200-20200+1900	11	-	11
33	प्लंबर	5200-20200+1900	-	2	2
34	मोटर मैकेनिक	5200-20200+1900	-	1	1
35	मसूरियक	5200-20200+1900	-	1	1
36	कोच स्वीमिंग	5200-20200+1900	-	1	1
37	सफाई कामगार	4750-7440+1300	-	121	121
38	भृत्य/चौकीदार	4750-7440+1300	25	32	57
39	श्रमिक	4750-7440+1300	-	90	90
योग			166	259	425

शर्त :-

1. स्थापना व्यय की अधिकतम सीमा 65 प्रतिशत तक ही नगर पालिक निगम में पदों की पूर्ति की जावें।
2. यदि किसी पद की पूर्ति में स्थापना व्यय 65 प्रतिशत से अधिक होने की संभावना हो तो नगरीय निकाय अपनी वास्तविक आय और व्यय की जानकारी के साथ राज्य शासन की पूर्व अनुमति के पश्चात् ही उक्त पद की पूर्ति करेंगे।
3. पदों की पूर्ति के मामले में छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम (अधिकारियों तथा सेवकों की नियुक्ति तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2007 तथा इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों/निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।
4. पूर्व में जो पद कलेक्टर दर पर स्वीकृत किये गये थे, उन्हें एतद्वारा निरस्त किया जाता है।
5. पूर्व में स्वीकृत नियमित पदों पर यदि वर्तमान में कर्मचारी कार्यरत है, तो उन पदों को समाप्त नहीं माना जावें।
6. शासन द्वारा आपके निकाय हेतु सांख्येतर पद अथवा नियमित पद पूर्व में स्वीकृत किये गये हैं, उन पदों को यदि सेटअप में शामिल नहीं किया गया हो, तो तत्काल अवगत करावें।

(बी.एल.सोनी)
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

क्रमांक एफ 4-14/2016/18 (5)

नया रायपुर, दिनांक 21/09/2016

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, मान. मंत्री जी, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मंत्रालय नया रायपुर
2. संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, नया रायपुर को उनके जावक क्रमांक 3023, दिनांक 03.08.2016 के संदर्भ में,
3. संयुक्त संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, जगदलपुर
4. महापौर/आयुक्त नगर पालिक निगम, जगदलपुर, जिला-बस्तर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
5. आर्डर बुक हेतु।

21/9/16

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग